(A2)

न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ I.A.S.

प्रकरण संख्या – 20/2021 (अपील)

GCMS No. 2021/150

1. नाथूराम गोस्वामी पुत्र स्व0 श्री देव किशन गोस्वामी
2. श्रीमति कमलेश गोस्वामी पत्नि श्री नाथूराम गोस्वामी जाति गोस्वामी निवासीगण मकान नं0 4 एफ–9 दादाबाडी विस्तार योजना कोटा राज0

––अपीलाण्ट

बनाम

1. श्रीमति रानूपुरी पत्नि लोकेश पुरी
2. लोकेश पुरी आत्मज नाथूराम गोस्वामी जाति गोस्वामी निवासीगण मकान नं0 4–एफ–9 दादाबाडी विस्तार योजना कोटा

––रेस्पोडेन्ट

अपील बनाराजगी आदेश दिनांक 12.4.2021 बउनवान नाथूराम गोस्वामी वगै0 बनाम रानूपुरी वगै0, मिसल नम्बर 92/2020 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा, भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम 2007

उपस्थितः–

1. **श्री मनोजपुरी, अभिभाषक अपीलांट**
2. **ममता शर्मा, अभिभाषक रेस्पो0**

दिनांकः– 22 /09/2021

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट कोटा, ने प्रार्थी अपीलान्ट नाथूराम गोस्वामी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 21 भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम 2007 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सुनवाई कर दिनांक 12.04.2021 को आदेश पारित किया कि–" प्रथम दृष्ट्या प्रकरण सम्पत्ति के विभाजन से उत्पन्न होने वाला विवाद जाहिर होता है जिसके विधिवत बंटवारे से पूर्व प्रकरण में भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 21 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है ।"

2. उक्त निर्णय की अप्रसन्नता में अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 14.06.2021 को पेश कर कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के इस कथन व तर्क पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्टस क्रमशः 70 व 68 वर्ष के वरिष्ठ नागरिक है । अपीलान्ट नं0 1 राजकीय सेवानिवृत है तथा वर्तमान में पेंशनर है । अक्सर बीमार रहते है । अपीलान्टस का अपनी स्वअर्जित आय से निर्मित मकान दौ मंजिला वाके मकान नं0 4–एफ–9 दादाबाडी विस्तार योजना कोटा में स्थित है । जिसमें अपीलान्टस शांतिपूर्वक रूप से निवास करते चले आ रहे है । उक्त मकान में रेस्पो0 दिनांक 29.12.2018 से मकान के फर्स्ट फ्लोर पर राजीनामा के तहत शांतिपूर्ण ढंग से बिना किसी विवाद के निवास करने की अनुमति बतोर लाइसेंसी दी हुई है । अपीलान्ट का एकमात्र पुत्र रेस्पो0 नं0 2 है जिसका विवाह रेस्पो0 नं0 1 के साथ किया गया । विवाह के उपरान्त रेस्पो0 उक्त मकान में निवास करने लगे किन्तु रेस्पो0 के आचरण अपीलान्ट के प्रति ठीक न होने के कारण

जिला कलेक्टर

रेस्पो0 अपीलान्टस से अलग निवास करने लगे । अलग निवास के दौरान भी रेस्पो0 के व्यवहार मे परिवर्तन नहीं आया । रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में यह कथन किया है कि अपीलान्ट्स ने मकान खाली करने की नियत से रेस्पो0 की पुत्री मंदिरा से रेस्पो0 नं0 2 के खिलाफ पोक्सो का मुकदमा लगाया जबकि उक्त प्रकरण में मंदिरा के बयान व ओडियो पेश हुये है व मंदिरा के गुप्त रूप से मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान लेखबद्व किये गये जिसमें यह पाया गया कि मंदिरा भी रेस्पो0 के कृत्य से मानसिकरूप से परेशान थी इस कारण उसने भावावेश में आकर मुकदमा दर्ज कराया अपीलान्ट्स के कहने पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया तथा अपीलान्ट ने अपने पुत्र रेस्पो0 नं0 2 के पक्ष में ही बयान देकर उसको उक्त मुकदमा से बचाया था । इस कारण उसका यह कहना कि उक्त मुकदमा अपीलान्ट ने लगवाया सर्वथा गलत है । रेस्पो0 ने कई मुकदमें व कृत्य कर अपीलान्ट्स को भयभीत कर रखा है तथा शांतिपूर्ण तरीके से रहने नहीं दे रहे है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेस्पो0 को मकान से बेदखल करने का आदेश पारित करना चाहिये था ऐसा न करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्टस ने यह बखूबी साबित कर दिया था कि रेस्पो0 नं0 2 जो कि आदतन आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिसके खिलाफ फर्जी दस्तावेज बनाकर सम्पत्ति हडप करने व बलात्कार, मारपीट, धोखाधडी आदि के मुकदमें भी चले तथा रेस्पो0 नं0 1 क्रूर स्वभाव की है जो दौनों मिल कर आये दिन झगडा फसाद व झूंठे मुकदमें करने के आदी है तथा जान से मारने पर आमादा रहते है व अपीलान्ट के मकान को हडप करना चाहते है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेस्पो0 को मकान से बेदखल करने का आदेश पारित करना चाहिये था ऐसा न करने में गम्भीर त्रुटि की है । योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का अधिनियम 2007 की अनदेखी कर मनमर्जी से अपनी स्वेच्छा से विधि विरूद्व आदेश पारित किया है इस कारण से भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 12.4.2021 निरस्त फरमाते हुये अपीलान्टान के मालिकाना स्वामित्व वाले मकान 4–एफ–9 दादाबाडी विस्तार कोटा से रेस्पोडेन्टान को बाहर किये जाने व रेस्पोडेन्टान को उक्त मकान में प्रवेश करने से निषेध किये जाने बाबत आदेश प्रदान फरमाया जावें तथा अपीलान्टस को व्यक्तिगत सुरक्षा व संरक्षा तथा अपीलान्टस के उक्त मकान की सुरक्षा निरन्तर रखते हुये उक्त बाबत समुचित आदेश रेस्पोडेन्टान के विरूद्व प्रदान फरमाया जावें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु रजिस्टर्ड डाक से नोटिस जारी किया गया । रेस्पो. की ओर से ममता शर्मा अभिभाषक उपस्थित, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । अपीलांट एवं वकील अपीलांट उपस्थित । रेस्पो0 के अधिवक्ता उपस्थित, विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराया एवं कथन किया कि अपीलान्टस क्रमशः 70 व 68 वर्ष के वरिष्ठ नागरिक है । अपीलान्ट नं0 1 राजकीय सेवानिवृत है तथा वर्तमान में पेंशनर है । अक्सर बीमार रहते है । अपीलान्टस का अपनी स्वअर्जित आय से निर्मित मकान दौ मंजिला वाके मकान नं0 4–एफ–9 दादाबाडी विस्तार योजना कोटा में स्थित है । जिसमें अपीलान्टस शांतिपूर्वक रूप से निवास करते चले आ रहे है । उक्त मकान में रेस्पो0 दिनांक 29.12.2018 से मकान के फर्स्ट फ्लोर पर राजीनामा के तहत शांतिपूर्ण ढंग से बिना किसी विवाद के निवास करने की अनुमति बतोर लाइसेंसी दी हुई है । अपीलान्ट का एकमात्र पुत्र रेस्पो0 नं0 2 है जिसका विवाह रेस्पो0 नं0 1 के साथ किया गया । विवाह के उपरान्त रेस्पो0 उक्त मकान में निवास करने लगे किन्तु रेस्पो0 के आचरण अपीलान्ट के प्रति

जिला कलेक्टर
कोटा

(A4)

ठीक न होने के कारण रेस्पो0 अपीलान्टस से अलग निवास करने लगे । अलग निवास के दौरान भी रेस्पो0 के व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया । रेस्पोडेन्टगण द्वारा अपीलान्टान को आये दिन परेशान करते है तथा तरह तरह की यातनाएं देते आ रहे है, रेस्पो0 नं0 2 अपीलान्ट नं0 1 के विरूद्व पोक्सो एक्ट में झूंठा मुकदमा भी करवा चुकी है, तथा रेस्पो0 नं0 1 एक आदतन अपराधी है, जो अपीलान्टान से आये दिन लडाई झगडा करता है । इसलिए अपीलान्टगण रेस्पोडेन्टगण को अपनी स्वअर्जित आय से निर्मित मकान में नहीं रखना चाहते है । अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 12.4.2021 निरस्त फरमाते हुये अपीलान्टान के मालिकाना स्वामित्व वाले मकान 4–एफ–9 दादाबाडी विस्तार कोटा से रेस्पोडेन्टान को बाहर किये जाने व रेस्पोडेन्टान को उक्त मकान में प्रवेश करने से निषेध किये जाने बाबत आदेश प्रदान फरमाया जावें । वकील अपीलान्ट द्वारा अपील के समर्थन में न्यायिक निर्णय 20019(1)CJ(Civ.(Raj) दीपक कुमार बनाम भूलवन्ती एवं फर्द दस्तावेज पेश किये ।

5. वकील रेस्पो0 द्वारा कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा लगाये गये समस्त आरोप मिथ्या है । अपीलान्टगण अप्रार्थीपक्ष को मकान से बेदखल करना चाहते है जबकि इसके विपरीत रेस्पोडेन्टगण द्वारा अपीलान्टान की सेवासुश्रुषा का कार्य बहुत अच्छे ढंग से किया जाता है तथा आगे भी हम अपीलान्ट की सेवा करना चाहते है । अपीलान्टगण की पुत्री एवं दामाद द्वारा रेस्पोडेन्ट के विरूद्व भडकाया जाता है जिससे अपीलान्टगण अप्रार्थी पक्ष को मकान से बेदखल करना चाहते है । ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज फरमाई जावें ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी, बहस पर मनन किया, पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया । यह अपील अन्तर्गत धारा 16 भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम 2007 के तहत पेश की गई है, प्रार्थी अपीलान्टान का मुख्य कथन है कि अपीलान्ट की स्वअर्जित आय से निर्मित मालिकाना स्वामित्व वाले मकान 4–एफ–9 दादाबाडी विस्तार कोटा से रेस्पोडेन्टगण को बेदखल करना चाहते है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया था कि मामला सम्पत्ति के विभाजन से उत्पन्न होने वाला विवाद मानकर खारिज किया गया है । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से एवं अपीलान्ट की प्रार्थना से यह स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम 2007 के तहत रेस्पोडेन्टगण पुत्र एवं पुत्रवधु को अपनी स्वअर्जित मकान से बेदखल करना चाहते है । यहां हम मानते है कि उक्त अधिनियम के तहत माता पिता अपनी स्वअर्जित सम्पत्ति से अपने पुत्र पुत्रों को बेदखल कर सकते है यह अधिनियम वरिष्ठजनों एवं माता पिता के कल्याण एवं हितार्थ बनाया गया है ।

7. परिणामस्वरूपः अपील अपीलांट आंशिकरूप से स्वीकार किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में वरिष्ठ नागरिका भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 में विहित प्रावधानों के तहत पुनः सुनवाई की जाकर गुणावगुण के आधार पर नवीन निर्णय पारित करें ।

8. निर्णय आज दिनांक **22.09.2021** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलेक्टर
कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा